(4)

महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः--बंशा./जयपुर/86/06/ 281-380 दिनांक :-- ~~30.03.2010~~ 5/4/10

1. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह,राजस्थान
2. समस्त प्रभाराधिकारी,
उप कारागृह,राजस्थान
3. प्राचार्य,
कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर

विषय :-- बंदियों के स्थानान्तरण के संबंध में दिशा--निर्देश ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः राज्य के कारागृहों से विभिन्न कारणों से बंदियों के स्थानान्तरण के लिए प्रकरण इस कार्यालय को पूर्ण तथ्यों के साथ प्रेषित नहीं किये जाते हैं जिसके कारण पत्राचार की आवश्यकता होने से प्रकरण पर निर्णय लेने में विलम्ब होता है।

2. कारागार/उप कारागार प्रभारी का दायित्व है कि बंदी को पूर्ण अनुशासन एवं नियंत्रण में कारागार में सुरक्षित रूप से रखें। बंदी द्वारा अनुशासनहीनता अथवा नियम विरुद्ध आचरण करने पर नियमानुसार दण्डित किया जाये।

3. राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट 8 के सेक्शन 7 के नियम 56 के अनुसार अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह को कारागृह में अनुशासन, व्यय, श्रम, दण्ड व नियंत्रण के लिये अधिकृत किया हुआ है। इन्हीं नियमों के पार्ट 2 में अंकित जेल अपराध के दोषी बंदियों को परिहार जब्त करना, अस्थायी/स्थायी पदावनति, परिहार से हटाना, श्रम परिवर्तन, आदि दण्ड के प्रावधानों का विवेकानुसार बंदी के नियंत्रण हेतु प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिये । इसके साथ--साथ संज्ञेय अपराध घटित होने पर अधीक्षक कारागृह विवेकानुसार प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जॉच हेतु प्रस्तुत कर सकता है अथवा संबंधित पुलिस थाने में अभियोग भी पंजीबद्ध करा सकता है।

4. अतः भविष्य में बंदियों के स्थानान्तरण हेतु भिजवाने वाले प्रकरणों में निम्न भांति कार्यवाही कर प्रकरण भिजवाये जावें :--

(अ) बंदी द्वारा स्वेच्छा से स्थानान्तरण चाहने पर

बंदी का प्रार्थना--पत्र,नोमीनल रोल,कार्य एवं आचरण रिपोर्ट, विचाराधीन न्यायालय प्रकरण,स्थानान्तरण चाहा जा रहा है उस कारागृह पर सजानुसार स्थानान्तरण का पात्र है अथवा नहीं एवं प्रभाराधिकारी की प्रवंदना ।

महानिदेशक एव महानिरीक्षक कारागार

(ब) कारागृह पर जनाधिक्य के कारण स्थानान्तरण

कारागृह में जनाधिक्य के कारण बंदियों के स्थानान्तरण हेतु भिजवाये जाने वाले प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ,जयपुर के डी.बी.सिविल याचिका संख्या 9354/2006 श्योकरण व अन्य बनाम सरकार व अन्य के निर्णयानुसार एवं इस कार्यालय के परिपत्र कमांक सामान्य/जे.पी.आर./86/07/86444–86543 दिनांक 15.01.2008 एवं वं. शा./ जयपुर/ 86/ 07/ 26307–408 दिनांक 07.08.2009 को दृष्टिगत रख प्रेषित किये जायें।

(स) शिकायतन स्थानान्तरण

किसी भी बंदी का अनुशासन हीनता अथवा असंयमित व्यवहार के कारण स्थानान्तरण हेतु प्रवंदना करने से पूर्व जेल अधीक्षक का यह दायित्व है कि वह आंकलन के पश्चात् इस निर्णय पर पहुँचे कि इस बंदी को नियमानुसार दण्ड देने के पश्चात् भी उसे अनुशासित रूप में निरूद्ध नहीं रखा जा सकता है। विभिन्न दण्डों के उपरांत भी आचरण में सुधार नहीं होने पर ही स्थानान्तरण प्रवंदित किया जावे तथा प्रकरण में बंदी को दिये गये दण्ड तथा उसके आचरण पर प्रभाव के विवरण का समावेश किया जावे ।

(द) विशेष परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण

अति विशेष परिस्थिति उदाहरणार्थ–निरूद्ध बंदी को अन्य बंदियों से खतरा,चिकित्सकीय आवश्यकता जैसी परिस्थितियों में विशेष प्रकरण स्थानान्तरण हेतु पूर्ण विवरण एवं औचित्य के साथ प्रवंदित किया जावे ।

5. इस कार्यालय के आदेशों से स्थानान्तरण के पश्चात् बंदी को जिस कारागृह में निरूद्ध किया जाता है उस कारागृह के अधीक्षक का यह दायित्व है कि वह उस बंदी की दैनिक गतिविधियों पर निगरानी सुनिश्चित करे तथा समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा उसके निजी सामान,बैरिक आदि की तलाशी ली जावे ताकि उसकी आपराधिक गतिविधियों और अनुशासनहीनता पर प्रभावी अँकुश लगाया जा सके ।

6. उक्त आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर